संख्या- 97 /2018/ 1782 /चार-2018 -138(वि)/2016

प्रेषक,

डा0 वन्दना वर्मा
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ

सस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 06 जुलाई, 2018

विषय- वेतन समिति उ0प्र0 (2008) के चौदहवें प्रतिवेदन के माध्यम से स्वशासी संस्थाओं की पदवार एवं सामान्य कोटि के संवर्ग /पदों के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के चौदहवें प्रतिवेदन के माध्यम से स्वशासी संस्थाओं की पदवार /एवं सामान्य कोटि के संवर्ग /पदों के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर
पर वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-109/दस-54(एम)/2008 टीसी दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा लिये गये सामान्य निर्णय के क्रम में राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ के वाहन चालक संवर्ग में निम्न तालिका के स्तम्भ-2 व 3 में उल्लिखित पदों (पदनाम/पदों की संख्या एवं वर्तमान में अनुमन्य हो रहे वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) को तालिका के स्तम्भ -4,5 व 6 के अनुसार (पदों के पदनाम/पदों की संख्या, वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा भर्ती की विधि/अर्हता) तत्काल प्रभाव से पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0 स0	वर्तमान व्यवस्था		शासनादेश दिनांक 27फरवरी, 2013 के अनुसार पुनर्गठित व्यवस्था		
	पदनाम/पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदनाम/पदों की संख्या	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	भर्ती की विधि/अर्हता
1	2	3	4	5	6
1	वाहन चालक/ (02 पद)	5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900	वाहन चालक ग्रेड-4/ (01 पद)	5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900	(एक) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा । अर्हता- (i) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और (ii) यथा स्थिति भारी या हल्के वाहन चालने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस सम्बन्धित रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से 03 वर्ष से अनन्यून अवधि का रखता हो । (दो) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे क्लीनरो और समूह 'घ' के कर्मचारियों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, और यथा स्थित भारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

					या हल्के वाहन चलाने का 03 वर्ष से अनन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवी कक्षा की परीक्षा उत्तीण कर ली हो, परन्तु यदि पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग की अनुपलब्धता अथवा पोषक संवर्ग में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्तियों को उक्त खण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा।
			वाहन चालक ग्रेड-3/ (01 पद)	5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400	वाहन चालक ग्रेड-3 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड-4 से की जायेगी जिन्होने 09 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

2. वाहन चालक के उपर्युक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध पदों पर भर्ती/पदोन्नति/समायोजन के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

उक्तानुसार पुनर्गठन के फलस्वरूप संशोधित /उच्चीकृत ग्रेड वेतन के उपलब्ध पद पर वर्तमान में निम्न स्तर के पदों पर कार्यरत पदधारकों से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर एकमुश्त समायोजन किया जायेगा। उक्तानुसार समायोजित होने वाले पदधारक का संशोधित/उच्चीकृत ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। एकमुश्त समायोजन की सुविधा सिर्फ एक बार ही दी जायेगा। उक्त सुविधा के उपरान्त रिक्त होने वाले पदों को सम्बन्धित पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार ही भरा जायेगा।

3- राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ में ड्राइवर संवर्ग के उपरोक्त पद विधिवत /नियमानुसार सृजित किये गये हो तथा इन पदों पर कार्यरत पदधारकों की नियमानुसार/नियमित नियुक्ति की गयी हो।

4- उच्चीकृत /संशोधित ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण वेतन आयोग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में की गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

5- संबंधित सेवानियमावली में उपर्युक्तानुसार यथा अपेक्षित संशोधन कर लिया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-573 /दस-2018 दिनांक 02 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 वन्दना वर्मा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- 97/ 2018 /1782 (1)/चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (02प्रतियों में)
6- निदेशक अधिष्ठान पुनरीक्षित ब्यूरों , वित्त विभाग, सचिवालय।
7- सचिव, राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ
8 -गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(डा0 वन्दना वर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।